

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम..... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)  
सांगीबाई बनाम रमेश चन्द

किस्म मुकदमा दावा धारा 53, 188 नं. 48  
RTA 1955 ..... सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/3/26	<p style="text-align: center;"><u>अंतिम निर्णय</u></p> <p><u>उपस्थित:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री मारुफ़ चामी अ. नारी</li> <li>2. श्री शोमराज शर्मा अ. उरि.</li> </ol> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष  उपस्थित। राजीनामा दि. 19/3/25  दस्तावेज लक्ष्मीवती पेश कर  पत्र क्रमांक 126 दि. 9/2/26 के  विभाजन उद्देश्य प्राप्त। TDR पेश  के प्राप्त विभाजन उद्देश्य दस्तावेज  वकील पक्षवाले दावा किया  कारिनल रिकॉर्ड कि वाने का  निर्वाह किया गया।</p> <p>मतः राजीनामा के बाधा  का वादगत भूमि बनाम  प्रतिद्वार लक्ष्मीवती दावा  लक्ष्मीवती पेश कर रवाला सं. 198  नया पुराना 121 कवादीनी एवं</p> <p style="text-align: right;"><u>Che</u></p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

संख्या  
क्रम

पुस्तक वा कार्यावली का इतिहास

प्रतिकारीयता के रूप में पुस्तकें  
पुस्तकें तथा अन्य सामग्री को  
कार्यालय में रखा गया है।

1. मांगीबारी कुमारी देवलाल दि. पूर्ण वारी  
कुमारी (उज्जापति) सा. इ. स्वतंत्रता के नाम :-

रकम नं.	रकम	दिशा
552/1	0.03	पूर्व
554	0.3250	पूर्व
कुल	0.3550	—

2. रामेशचन्द्र पुत्र देवलाल दि. पूर्ण  
वारी कुमारी (उज्जापति) सा.  
इ. स्वतंत्रता के नाम :-

रकम नं.	रकम	दिशा
552/1	0.03	पश्चिम
554	0.3250	पश्चिम
कुल	0.3550	—

3. मांगीबारी कुमारी देवलाल दि. 1/2 वारी  
कुमारी उज्जापति सा. इ. स्वतंत्रता  
रामेशचन्द्र पुत्र देवलाल दि. 1/2 वारी  
कुमारी (उज्जापति) सा. इ. स्वतंत्रता

रकम नं.	रकम	दिशा
553	0.10	—
कुल	0.10	—

सहायता के रूप में नए पुस्तकें के नाम में  
समस्त पुस्तकें रखने का इतिहास दिनांक  
आधी ही निर्धारित है दि. 30.3.28 से  
सुरक्षा गण।



—[I.A.S.]  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी जिला कोटा (झारखण्ड)